मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-3

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

सोमवार, दिनांक 28 जून, 2004 (आषाढ़ 7, 1926)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 21 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 42 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 49 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुरोध पर आज उन्होंने मुख्यमंत्री से संबंधित प्रश्नकाल को स्थगित करने की अनुमति प्रदान की है।

3. नियम 267 क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार -

(1) श्री रामलखन शर्मा, सदस्य की रीवा जिले के चौखंडी खोहा में पेयजल योजना प्रारम्भ न होने,

(2) डॉ. सुनीलम्, सदस्य की देवास स्थित हिन्द सिथेंटिक्स मिल को अवैध रूप से बंद किये जाने तथा

(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की उज्जैन जिले के नागदा क्षेत्र में अपराधिक कार्यों में लिप्त लोगों पर कार्यवाही न होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गई.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री कैलाश चावला, वाणिज्यिक कर मंत्री ने मध्यप्रदेश वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा-80 की उपधारा (5) की अपेक्षानुसार वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचनाएं _

(1) क्रमांक ए-5-6-2000-विक-पांच (26), दिनांक 31 मार्च, 2003
(2) क्रमांक ए-5-4-2000-विक-पांच (42), दिनांक 10 जुलाई, 2003
(3) क्रमांक ए-5-4-2000-विक-पांच (50), दिनांक 11 सितम्बर, 2003 ; तथा
(4) क्रमांक ए-5-4-2000-विक-पांच (60), दिनांक 24 दिसम्बर, 2003

पटल पर रखी.

5. ध्यानाकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार पढ़ी हुई मानी गई सूचनाएं -

(1) श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की भोपाल के टी.टी. नगर क्षेत्र में बोर्ड द्वारा संचालित विद्यालय व भवन को किराये पर निजी संस्था को नियम विरूद्ध दिये जाने संबंधी सूचना तथा राज्यमंत्री, स्कूल शिक्षा का वक्तव्य; तथा

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, श्री छोटेलाल सरावगी, सदस्य की शहडोल जिले के अमलाई स्थित ओरियेंट पेपर मिल द्वारा प्रदूषण फैलाये जाने संबंधी सूचना तथा आवास एवं पर्यावरण मंत्री का वक्तव्य।

11.38 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 12 जुलाई, 2004 (आषाढ़ 21, 1926) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.